

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/2018/

दिनांक

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के अधीन कार्यरत निम्न नर्स द्वितीय परिवीक्षाधीन का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम नर्स द्वितीय	असाधारण अवकाश अवधि
1	राकेश कुमार रोट	दिनांक 11.11.2016 से दिनांक 21.11.2016 तक = 11 दिवस

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 11/09/19

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/2018/727

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरुपगंज (सिरौही)।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर।